

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, बक्सर के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित) से 07 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 210000/- (दो लाख दस हजार रूपए) एवं दुर्घटना में मृत 02 श्रमिक के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 200000/- (दो लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 410000/- (चार लाख दस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार, उग्र पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)/ दावेदार	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/नि.शक्तता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० हरेन्द्र कुमार सिंह, 36, श्री राम दयाल यादव, सामान्य	श्रीमती विमला देवी(पत्नी)	244/28.09. 2019	ग्रा०-दगौली, पो०-नचाय, था०-नुरार, प्र०-चौगाई, बक्सर	46121010 0006772	BOI Nenna, Dumraon, BKID0004612	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि एवं गैर कृषि कार्य
2	स्व० ललन सिंह, 43, श्री काशी नाथ सिंह, सामान्य	श्रीमती सुभद्रा देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०+पो०-करहंसी, था०-बक्सर(मु०), प्र०+जि०-बक्सर	35248072 804	SBI NAI BAZAR, SBIN0012611	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
3	स्व० भूपेन्द्र यादव, 38, श्री शिव लखन यादव, सामान्य	श्रीमती धनमुनिया देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-नई बाजार, पो०+था०+ प्र०+जि०-बक्सर	31200100 021382	Bank of Baroda, Buxar, BARBOBUXARX	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, टेम्पु यालक का कार्य
4	स्व० मुन्ना चौधरी, 33, श्री पारस चौधरी, सामान्य	श्रीमती मान्ती देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०+पो०-पुरान भोजपुर, था०+प्र०-डुमराँव, बक्सर	50319623 489	इलाहाबाद बैंक ALLA0210359	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
5	स्व० रामाशंकर भर, 56, श्री बालेश्वर राय, सामान्य	श्रीमती मुधनी देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-बभनी, पो०-सरेंजा, था०+प्र०-राजपुर, बक्सर	70710700 019938	MBGB Rajpur, PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि कार्य में मजदूर
6	स्व० जगनरायण सिंह, 39, श्री राम बचन सिंह, सामान्य	श्रीमती शारदा देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-कुंजारा, पो०+था०-सिकरौल लख, प्र०-नावानगर, बक्सर	27030001 00366266	पंजाब नेशनल बैंक, नावानगर PUNB0270300	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, दैनिक मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
7	स्व० मो० नियामुदीन, 37, श्री शेरेन मियाँ, सामान्य	श्रीमती चन्दा बीबी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०+पो०-आथर, था०+प्र०-नावानगर, बक्सर	70080100 104205	MBGB AATHAR, PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि एवं अन्य प्रतिष्ठानों में मजदूर
8	स्व० मनोज कुमार यादव, 31, श्री सरल यादव, सामान्य	श्रीमती शीला देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-आशापडरी, पो०-पडरी, था०+प्र०-सिमरी, बक्सर	69870100 005514	MBGB Asha Parari PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खतिहर मजदूर
9	स्व० रविकांत ठाकुर, 27, श्री ददन ठाकुर, सामान्य	श्रीमती लीलावती देवी(माता)	293/07.11. 19	ग्रा०-पश्चिम टोला, पो०-आशापडरी, था०+प्र०-सिमरी, बक्सर	69870100 005602	MBGB, आशापडरी, PUNBOMBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, भवन निर्माण में मिस्त्री व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 410000/-

(चार लाख दस हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकल्पनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-14/2019 के पृष्ठ-19/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-14/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

(धर्मेन्द्र सिंह)


मुख्य वित्त पदाधिकारी

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-14/2019-38

पटना, दिनांक :- 10-02-2020

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 410000/- (चार लाख दस हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी



(धर्मेन्द्र सिंह)

कार्यकारी निदेशक।